मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक 71 /3628/2019/2/पांच भोपाल, दिनांक ~~दिसम्बर,2019~~ 7.1.2020

प्रति,

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/
जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश

विषय :— Clarification on Chargeability of Registration fee on Mining Lease Transfer deed.

जैसा कि आपको विदित है अधिसूचना क्रमांक एफ बी04—03—2019—2—पांच(09) दिनांक 29.06.2019 द्वारा किए गए संशोधन में पट्टे के अंतरण, विक्रय एवं दान जो परिवार के सदस्यों से भिन्न के पक्ष में हो, के दस्तावेज पर बाजार मूल्य गाइडलाइन के आधार पर संगणित मूल्य के 3 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस प्रभारित की गई है। जहाँ तक खनिज पट्टों के अंतरण का प्रश्न है, स्टाम्प अनुसूची 1—क के अनुच्छेद 62 में इस के लिए पृथक से स्पष्टीकरण दिया गया है जिस के मुताबिक खनिज पट्टे के अंतरण पर खनिज पट्टे की ही भांति अर्थात 0.75 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है।इसमें सामान्य पट्टे की भांति स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता नहीं रखी गई है।इसी प्रकार पंजीयन फीस के मामले में भी खनिज पट्टे के अंतरण पर सामान्य पट्टे के अंतरण की भांति फीस लागू होना तात्पर्यित नहीं होता क्योंकि खनिज पट्टे के मामले में गाइडलाइन की प्रासंगिकता नहीं है। खनिज पट्टे के अंतरण पर गाइड लाइन मूल्य से गणना करना संभव ही नहीं है। अतएव खनिज पट्टे के अंतरण पर गाइड लाइन मूल्य पर 3 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस के बजाए पंजीयन फीस सारणी के अनुच्छेद—एक के अंतर्गत खण्ड(दो) अनुसार 0.8 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस लागू होती है।

उक्तानुसार दिनांक 29.06.2019 से लागू किए गए संशोधन के परिप्रेक्ष्य में भ्रम की स्थिति न रहे इस हेतु अधीनस्थों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करें।

(signature)
(आई.सी.पी.केशरी)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 72 /3628/2019/2/पांच भोपाल, दिनांक ~~दिसम्बर,2019~~ 7.1.2020
प्रतिलिपि :—

1. महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(signature)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग